

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी), सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी

1. मोका पुत्र केरा
2. हेमा पुत्र पेमा
3. हेमाराम पुत्र भानाराम (फौत) कौम जाट,
निवासी कानावास, तहसील सोजत जिला
पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध संख्या // / 2020

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2020/00014)

अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.01.2020	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के अप्रार्थीगण के पक्ष में मौजा कानावास, पटवार मण्डल मालपुरिया कलां के खसरा नम्बर 332 रकबा 8.5 है. किस्म बरानी अब्बल भूमि का वक्त भू प्रबन्ध से ही राजस्व रेकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण को निरस्त कराकर, उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कराने हेतु पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न अप्रार्थी के हक में किए गए आवंटन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है, न ही इसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश किया है, जो प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड I के अध्याय 4 के नियम 17 (क से घ) की पालना की जानी आज्ञापक है। यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से तथा मृतक के विरुद्ध पेश करने से खारिज किया जाता है। प्रकरण इस आशय से प्रार्थी तहसीलदार, सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ पन्द्रह दिवस के भीतर पुनः नए सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।</p>	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली